भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 401
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

वयनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए केंद्रीय सहायता

401. डा. जॉन ब्रिटास:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्र ने हाल ही में वयनाड भूस्खलन आपदा के लिए सहायता के रुप में केवल 260.65 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है, जबकि केरल ने आपदा उपरान्त आवश्यकता मूल्यांकन कर पुनर्प्राप्ति और पुनर्निमाण के लिए 2,221.10 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था और 13.11.2024 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संस्वीकृत राशि को जारी करने के साथ कोई शर्तें जोड़ी गई हैं, जिनमें राज्य के एसडीआरएफ कोष के समायोजन से संबंधित कोई प्रावधान शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संस्वीकृत ₹ 260.65 करोड़ रुपये पहले ही राज्य को हस्तांतरित कर दिए गए थे; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे हस्तांतरण की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी और पुनर्निर्माण निधि विंडो के अंतर्गत सहायता दिनांक 14.08.2024 को जारी विधिवत अनुमोदित दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती है। ये दिशानिर्देश नुकसान के परिप्रेक्ष्य में सहायता हेतु मदों और मानदंडों तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विवरण प्रदान करते हैं। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा राज्य से प्राप्त आपदा

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 401, दिनांक 03/12/2025

उपरांत आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) रिपोर्ट को उक्त दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय सहायता के लिए संसाधित किया जाता है। केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पीडीएनए रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए 260.56 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, वयनाड भूस्खलन के पुनर्निर्माण और रिकवरी गतिविधियों के लिए राज्य सरकार को 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' के अंतर्गत 249.18 करोड़ रुपये भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनएलआरएमपी) के अंतर्गत राज्य के लिए 72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आजीविका से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता लेने की सलाह दी गई है।

(ग) से (च): रिकवरी और पुनर्निर्माण दिशानिर्देश मदों और मानदंडों के अनुसार किसी भी योजना/विशेष अनुमोदन के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के दोहराव न होने को सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्रों में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता के पैमाने और मात्रा जैसी शर्तें निर्धारित करती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं/सहायता का उपयोग, लेखांकन, निगरानी और लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार होती है। रिकवरी और पुनर्निर्माण दिशानिर्देश https://ndmindia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

दिशानिर्देश रिकवरी और पुनर्निर्माण निधि विंडो से केंद्रीय वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य के बीच श्रेणीबद्ध लागत साझाकरण के तरीके को भी निर्दिष्ट करते हैं। वायनाड भूस्खलन के मामले में, 260.56 करोड़ रुपये की पूरी राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में स्वीकृत है।

केंद्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत राशि के 30% - 40% - 30% की तीन किस्तों में जारी की जाती है, बशर्ते कि पहले जारी की गई राशि का 75% उपयोग किया जाए। केरल राज्य को 78.17 करोड़ रुपये की पहली किस्त (अर्थात 260.56 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि का 30%) दिनांक 17.10.2025 को जारी कर दी गई है। अगली किस्तों को जारी करने के लिए राज्य सरकार को पहले जारी की गई राशि के 75% का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

***